# कार्यालयः महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।

संख्या–प्रशि.प्रको. /                                                    लखनऊः दिनांक 8/2/ 2016

नवीन

## –:: आदेश ::–

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में प्रादेशिक चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के विशेषज्ञ चिकित्साधिकारियों के सेवा निवृत्ति के उपरान्त 65 वर्ष की आयु तक पुनर्योजन प्रदान किये जाने सम्बन्धी चिकित्सा अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या 157/सेक–2–पॉच–14–7(255)/13, दिनांक 13.01.2014 सपठित शासनादेश संख्या 1961/सेक–2–पॉच–14–7(255)/13, दिनांक 18.06.2014 में अंकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन **निम्नलिखित चिकित्सकों** को परामर्शी (कन्सल्टैन्ट) के रूप में जन्म तिथि से 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, को **उनके नाम के सम्मुख अंकित चिकित्सालय** में नियमित चिकित्साधिकारियों से पद भरे जाने अथवा एक वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, तक के लिए एतद्द्वारा तात्कालिक प्रभाव से निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन पुनर्योजित किया गया है।

(1) पुनर्योजन केवल विशेषज्ञ चिकित्सकों का ही किया जायेगा। विशेषज्ञ चिकित्सकों को कोई प्रशासकीय पद नहीं दिया जायेगा। पुनर्योजन की अवधि में इन्हें संवर्गीय पदनाम नही दिया जायेगा। पुनर्योजन की अवधि में विशेषज्ञ के रूप में कन्सलटेन्ट अथवा परामर्शी कहा जायेगा।

(2) पुनर्योजन की अवधि पेंशन के लिए नहीं गिनी जायेगी और पद का कार्यभार ग्रहण करने अथवा उसकी समाप्ति पर कोई यात्रा भत्ता नही देय होगा।

(3) पुनर्योजन पर तैनात किये जाने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों को पुनर्योजन की अवधि में वह नियत वेतन अनुमन्य होगा जो उसकी शुद्ध पेंशन की धनराशि को सम्मिलित करते हुए उनके द्वारा अन्तिम आहरित वेतन या पुनर्योजित पद के वेतनमान के अधिकतम, जो भी कम हो से अधिक न हो। पुनर्योजन की अवधि में विशेष वेतन उसी दर पर देय होगा जो पुनर्योजन से पूर्व अनुमन्य था।

(4) पुनर्योजित विशेषज्ञ चिकित्सकों को अस्थायी कर्मचारी की भॉति वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2, भाग–2 से 4 के सहायक नियम–157ए तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों के अनुसार अवकाश देय होगा।

(5) पुनर्योजन की अवधि में विशेषज्ञ चिकित्सकों को यात्रा तथा दैनिक भत्ते उनके वेतन व शुद्ध पेंशन के योग के अनुसार अनुमन्य दरों पर देय होंगे जैसा कि यात्रा भत्ता नियम–16–ए में प्राविधानित है।

(6) पुनर्योजन पर नियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों को आपातकालीन सेवाओं/आकस्मिक सेवाओं हेतु उपलब्ध रहना होगा।

(7) जनपदवार/विशेषज्ञतावार पुनर्योजित विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवायें संतोषजनक न पाये जाने पर अस्थायी सरकारी सेवक की भॉति एक माह की अग्रिम नोटिस देकर उनकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी। पुनर्योजन पर तैनात विशेषज्ञ चिकित्सक भी एक माह की अग्रिम नोटिस देकर सेवा मुक्त हो सकता है।

(8) पुनर्योजन पर तैनात विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों को अस्पताल में सरकारी नियमों के अन्तर्गत उपलब्ध दवाओं को ही संस्तुत करेंगे तथा उनके द्वारा किसी भी रूप में प्राइवेट प्रैक्टिस नही की जाएगी। इसका उल्लघंन करने पर तत्काल प्रभाव से पुनर्योजन समाप्त कर दिया जायेगा।

2– सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/सक्षम अधिकारी द्वारा चिकित्सक की तैनाती के पूर्व चिकित्सक से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि सेवा काल के दौरान न तो सी0बी0आई0 जॉच/न तो सतर्कता जॉच न ही अनुशासनिक कार्यवाही तथा न ही कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन है।

3– सम्बन्धित चिकित्सक की तैनाती के पूर्व सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/सक्षम अधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि संबंधित चिकित्सक की स्वास्थ्यता के सम्बन्ध में अपेक्षित स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र आवश्य उपलब्ध करा दिया जाय।

4– यदि किसी चिकित्सक द्वारा पुनर्योजन के आधार पर तैनाती से पूर्व उक्तानुसार अपेक्षित शपथ पत्र और स्वास्थ्यता प्रमाणपत्र उपलब्ध नही कराया जाता है, तो उनकी तैनाती/पुनर्योजन न किया जाये, बल्कि ऐसे प्रकरणों को पुनः महानिदेषक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 के संज्ञान में लाया जाय।

| क्र0 सं0 | नाम | पिता/पति का नाम | जन्म तिथि | सेवा निवृत्त तिथि | विशेषज्ञता | चिकित्सालय /जनपद का नाम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | डा0 त्रिलोक कुमार झां – | श्री सी0एल0 झा | 27.03.1952 | 31.03.2012 | एम0बी0बी0एस0 डी0आर्थ0 | जिला चिकित्सालय, नोएडा |
| 2. | डा0 उमेश नारायण राय – 4687 | स्व0 विरक्षन राय | 01.07.1955 | 30.06.2015 लखनऊ | एम0बी0बी0एस0 डी0एम0आर0ई0 | जिला चिकित्सालय, बाराबंकी |
| 3. | डा0 गिरीश चन्द्र वर्मा–8688 | श्री विशम्भर दयाल वर्मा | 07.03.1955 | 31.03.2015 बाराबंकी | एम0बी0बी0एस0 डी0आर्थ0 | जिला चिकित्सालय, बाराबंकी |
| 4. | डा0 प्रदीप श्रीवास्तव–5405 | स्व0 कृष्ण सरन श्रीवास्तव | 07.07.1955 | 31.07.2015 लखनऊ | एम0बी0बी0एस0 डी0टी0सी0डी0 | जिला चिकित्सालय, उन्नाव |
| 5. | डा0 सुशील कुमार राय – 4451 | स्व0 कृष्णा नन्द राय | 04.10.1955 | 31.10.2015 लखनऊ | एम0बी0बी0एस0 डी0एम0आर0डी0 | बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ |
| 6. | डा0 अनिल कुमार तिवारी – 6127 | श्री हेम चन्द्र तिवारी | 26.10.1955 | 31.10.2015 लखनऊ | एम0बी0बी0एस0 डी0बी0डी0 | जिला चिकित्सालय, रायबरेली |
| 7. | डा0 श्रीकृष्ण – 7488 | स्व0 श्री निभाराम | 11.11.1955 | 30.11.2015 बरेली | एम0बी0बी0एस0 डी0सी0एच0 | जिला चिकित्सालय, बदायूं |
| 8. | डा0 सुरेश कुमार गुप्ता–3751 | स्व0 आर0आर0 गुप्ता | 06.04.1952 | 30.04.2012 मुरादाबाद | एम0बी0बी0एस0 डी0ओ0एम0एस0 | जिला चिकित्सालय, नोएडा |
| 9. | डा0 प्रदीप कुमार सिंह–4442 | स्व0 कृष्णा कुमार सिंह | 05.02.1954 | 28.02.2014 बस्ती | एम0बी0बी0एस0 डी0टी0सी0डी0 | जिला चिकित्सालय, कानपुर देहात |
| 10. | डा0 समर सिंह –10004 | स्व0 विशेषर प्रसाद | 01.12.1953 | 30.11.2013 सीतापुर | एम0बी0बी0एस0 डी0एम0आर0डी0 | जिला चिकित्सालय, सीतापुर |
| 11. | डा0 सूर्य कुमार सिंह – 5279 | स्व0 राजपति सिंह | 20.04.1954 | 30.04.2014 शाहजहांपुर | एम0बी0बी0एस0 एम0एस0 सर्जरी एरोलोजिस्ट | बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ |
| 12. | डा0 सुनील चौहान–7275 | श्री राज सिंह चौहान | 12.11.1955 | 30.11.2015 लखनऊ | एम0बी0बी0एस0 डी0वी0डी0 | लो0ब0रा0ना0 संयुक्त चिकित्सालय, लखनऊ |
| 13. | डा0 अनुराग कुमार राजवंशी–4371 | श्री सत्य प्रकाश राजवंशी | 27.11.1955 | 30.11.2015 कानपुर | एम0बी0बी0एस0 डी0सी0पी0 | जिला चिकित्सालय, अलीगढ़ |
| 14. | डा0 कुसुम दुबे–4541 | डा0 ए0पी0 दुबे | 01.06.1952 | 31.05.2012 गोरखपुर | एम0बी0बी0एस0 डी0जी0ओ0 | अवंतीबाई महिला जिला चिकित्सालय, लखनऊ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.** | डा0 कुंवर पाल सिंह–7428 | स्व0 आर0एस0 दास | 05.01.1954 | 31.01.2014 हापुड़ | एम0बी0बी0एस0 डी0ए0 | जिला चिकित्सालय, हापुड़ |
| **16.** | डा0 विनय कुमार श्रीवास्तव – 4986 | डा0 छोटे लाल श्रीवास्तव | 01.06.1955 | 31.05.2015 हापुड़ | एम0बी0बी0एस0 डी0आर्थ0 | जिला चिकित्सालय, बाराबंकी |

(सुनील श्रीवास्तव)
महानिदेशक

**संख्या–प्रशि.प्रको./** 1483-92 **तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

**पंजीकृत** 1– महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2– प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।

**पंजीकृत** 3– मिशन निदेशक, एन0आर0एम0एम0, लखनऊ।

**पंजीकृत** 4– संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।

5– महानिदेशक, परिवार कल्याण, जगत नरायन रोड, लखनऊ।

**पंजीकृत** 6– संबंधित प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला (पुरूष/महिला) चिकित्सालय, उ0प्र0।

**पंजीकृत** 7– संबंधित कोषाधिकारी, उ0प्र0।

8– चिकित्सा अनुभाग–2/3, उत्तर प्रदेश शासन।

**पंजीकृत** 9– संबंधित चिकित्सक/अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि वे इस पत्र की प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रत्येक दशा में पुनर्योजित पद पर कार्यभार अवश्य ग्रहण कर ले तथा इसकी सूचना उचित माध्यम से महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि उक्त अवधि में उनके द्वारा पुनर्योजित पद पर कार्यभार ग्रहण नही किया जायेगा तो, यह समझा जायेगा कि संबंधित चिकित्सा अधिकारी पुनर्योजन पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक नही है और ऐसी स्थिति में उनके पुनर्योजन को स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

10–गार्ड फाइल।

(डा0 पूर्णिमा श्रीवास्तव)
अपर निदेशक (प्रशिक्षण)